न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प जालोर
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 21/2015

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
1 चुन्नीलाल पुत्र भैरा जी पुरोहित 2 श्रीमति बाबरीदेवी पत्नी चुन्नीलाल जाति पुरोहित निवासीगण संखवाली तहसील आहोर, जिला जालोर		1 नाथूसिंह पुत्र पूनमाजी 2 भूरसिंह गोदपुत्र लक्ष्मणसिंह 3 भूरसिंह पुत्र भैराजी जातिगण पुरोहित निवासीगण संखवाली तहसील आहोर जिला जालोर 4 मथरा पुत्री चिमनी बेवा लक्ष्मणजी जाति पुरोहित निवासी संखवाली हाल पत्नी मोहब्बतसिंह जाति पुरोहित निवासी शिवतलाव तहसील बाली जिला पाली 5 हंजा पुत्री चिमनी बेवा लक्ष्मणजी जाति पुरोहित निवासी संखवाली हाल पत्नी सरदारींगजी पुरोहित निवासी ढोला तहसील सुमेरपुर 6 रकमो पुत्री चिमनी बेवा लक्ष्मणजी जाति पुरोहित निवासी संखवाली हाल पत्नी छोगसिंह पुरोहित निवसी नेतरा तहसील सुमेरपुर जिला पाली 7 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार आहोर जिला जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

श्री मंगलसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स

श्री गोविन्द कुमार, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6

सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 7 की ओर से

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प जालोर

–: निर्णय :–

दिनांकः– 12/3/18

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) आहोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 52/98 बअनवान नाथूसिंह बनाम भूरसिंह वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.05.2015 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरियें सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

उभयपक्ष अभिभाषकगण ने नियत तारीख पेशी पर उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रकरण में दिनांक 15.09.2016 को राजीनामा प्रस्तुत हो चुका है तथा उभयपक्ष उक्त राजीनामा अनुसार विभाजन हेतु प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करवाना चाहते है। अतः अपील स्वीकार की जावें एवं जैर अपील निर्णय एवं डिक्री को अपास्त करते हुए राजीनामा अनुसार प्रकरण में निस्तारण हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया। प्रकरण में पक्षकारान् द्वारा दिनांक 15.09.2016 को राजीनामा प्रस्तुत किया गया है तथा राजीनामें अनुसार प्रकरण के निस्तारण हेतु सहमत है। इस कारण अपील सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 15 नियम 1 सी0पी0सी0 के तहत निस्तारण योग्य है।

परिणाम स्वरूप उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के आधार पर अपील स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) आहोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 52/98 बअनवान नाथूसिंह बनाम भूरसिंह वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.05.2015 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान् द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत राजीनामें को दृष्टिगत रखते हुए पक्षकारान् को सुनवाई का अवसर देते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति के साथ राजीनामें की प्रमाणित प्रतिलिपी अधीनस्थ न्यायालय को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 12/3/18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली केम्प जालोर

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प जालोर
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली केम्प जालोर